

राजस्व वाद 37/2024

जीसीएमएस नंबर-2024/85

भंवरलाल बनाम मांगीलाल वगैरह

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 1300/2205 रकबा 0.9712 हैक्टैयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 699/2204 रकबा 0.3399 हैक्टैयर पूर रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 722 रकबा 1.8373 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कमश विमला, बाबुलाल, अमरचंद, कन्हैयालाल के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 2981/676 रकबा 1.0249 हैक्टैयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 677 रकबा 1.6288 हैक्टैयर में से 0.3238 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 6 से 10 कमश सीता, सोनू, मोनू, अरूण, लक्ष्मीनारायण के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदारी में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 677 रकबा 1.6288 हैक्टैयर में से 1.3030 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 11 से 13 कमश कमला, सुगना, चुका के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 11 से 13 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
7. नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं संपेखण्ड अधिकारी
 (एन.जायल-नागौर)

